भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.173

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"आम के गूदे पर अत्यधिक जीएसटी"

173. श्री सचिदानन्दम आर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आम के गूदे पर उच्च जीएसटी दर के कारण पेय पदार्थ कंपनियों से इनकी मांग में कमी आई है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु में आम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने आम के गूदे पर जीएसटी कम करने का कोई प्रस्ताव जीएसटी परिषद को भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) : जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्तमान में आम के गूदे पर 12% की दर से जीएसटी लगता है।

(ख) : बागवानी फसलों और आमों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), केन्द्र प्रायोजित स्कीम, को वर्ष 2014-15 से क्रियान्वयन किया जा रहा है। एमआईडीएच के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से आम सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एमआईडीएच के अंतर्गत फलों और सब्जियों की वृद्धि के लिए रोपण सामग्री का उत्पादन, सब्जी बीज उत्पादन, उन्नत किस्मों के साथ क्षेत्र का कवरेज, जीर्ण-शीर्ण बागों का पुनरुद्धार, संरक्षित खेती, जल संसाधनों का निर्माण, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) जैविक खेती अपनाने जैसी गतिविधियों, जिसमें जैविक इनपुटों का स्वास्थाने उत्पादन भी शामिल है, के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों और तकनीकवदों की क्षमता निर्माण की भी व्यवस्था की गई है। इस स्कीम में पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन (पीएचएम) और उपज की बेहतर कीमत प्राप्ति हेतु विपणन की व्यवस्था भी शामिल है।

(ii) एमआईडीएच के अंतर्गत आम सहित बागवानी फसलों के क्षेत्र के विस्तार के लिए अधिकतम लागत के 40% की दर से प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित सहायता प्रदान की जाती है जो रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और आईएनएम/आईपीएम आदि की सामग्री की लागत को पूरा करने के लिए आनुपातिक आधार पर 60:40 की दो किस्तों में दी जाती है, बशर्ते दूसरे वर्ष में उत्तरजीविता दर 80% हो। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, आबाद गाँवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में सहायता अधिकतम लागत के 50% की दर से दी जाती है।

(ग) और (घ) : जीएसटी परिषद ने दिनांक 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में मंत्रियों का समूह (जीओएम) का गठन किया है और जीओएम के विचारार्थ विषयों में विशेष दरों सहित जीएसटी की वर्तमान दर स्लैब संरचना की समीक्षा और युक्तिसंगत बनाने के उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

*****